

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, जी. 3/1, राजमहल रेजिडेंसी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक: एक 13 (अनु.कोचिंग/पोर्टल/साम्प्रदायिक/21/ 35580-99 जयपुर, दिनांक : 17/6/2025-

निदेशक/एमडी/अध्यक्ष/प्रभारी,

.....
.....
.....

विषय : मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत सत्र 2024-25 हेतु
जारी तृतीय मैरिट सूची में चयनित अभ्यर्थियों को कोचिंग
संस्थाओं में ज्वाइन करवाये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत
सत्र 2024-25 हेतु विभाग द्वारा आपके कोचिंग संस्थान को सेक्टरों के आधार
पर सूचीबद्ध कर परीक्षावार/वर्गवार सीटों का आवंटन किया गया है।

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत सत्र 2024-25 हेतु विभाग द्वारा
सूचीबद्ध कोचिंग संस्थाओं में निःशुल्क कोचिंग किये जाने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों
से प्राप्त आवेदन पत्रों की प्रोविजनल मैरिट सूची जारी कर विभागीय
जिलाधिकारियों से अभ्यर्थियों की पात्रता एवं उनके आवेदन में अपलोड किये गये
दस्तावेजों के सत्यापन/जाँच उपरान्त जिलाधिकारियों द्वारा अनुमोदित किये गये
आवेदन पत्रों के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की प्रथम एवं द्वितीय चरण की मैरिट
सूची जारी की जा गई थी। उक्त मैरिट सूची में चयनित अभ्यर्थियों ने से कोचिंग
संस्थाओं में ज्वाइन नहीं किये जाने के कारण रिक्त रही सीटों के लिए प्रथम एवं
द्वितीय चरण की मैरिट सूची में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा कोचिंग संस्थाओं में ज्वाइन
नहीं किये जाने एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र अप्रूव थे लेकिन अभी तक उनको

Signature valid



Digitally signed by Bap Ranesh
Kumar Agrawal
Designation : Director
Date: 2025.06.16 20:43:09 IST
Reason: Approved

कोई कोचिंग संस्थान आवंटित नहीं हुई उन अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए रात्र 2024-25 हेतु तृतीय चरण की मेरिट सूची जारी की गई है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि योजनान्तर्गत आपकी संस्थान के पंजीकृत ऐसे सभी कोचिंग केन्द्रों जो राजस्थान में संचालित है उनमें तृतीय मेरिट सूची में चयनित अभ्यर्थियों को उनकी इच्छानुसार दिनांक 25.06.2025 तक ज्वाइनिंग करवाया जाना सुनिश्चित करावें। साथ ही यह भी निर्देश है कि आपकी संस्थान को आवंटित की गई सीटों को आपके अधीन संचालित कोचिंग केन्द्रों में यथा संभव समुचित अनुपात में सीटे भरी जावें ताकि अभ्यर्थियों को उनके निकटतम स्थानों पर योजनान्तर्गत निःशुल्क कोचिंग का अवसर प्राप्त हो सके और राज्य के अधिकाधिक जिलों तक योजना का कवरेज बढ़ाया जाकर योजना को समावेशी बनाया जा सके।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: एफ 13 ()अनु.कोचिंग/पोर्टल/सान्याअवि/21/ 35600-44 जयपुर, दिनांक : 17/6/2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (आई.टी.), मुख्यावास को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को योजना के सभी हितधारकों के लिए सूचनार्थ विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
5. संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक, जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को भेजकर लेख है कि आपके जिले की सूचीबद्ध कोचिंग संस्थाओं से सम्पर्क कर ऊपर अंकितानुसार कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Bachanesh
Kumar Agrawal
Designation : Director
Date: 2025.06.16 20:43:09 IST
Reason: Approved